रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 2014/आषाढ़ 13, 1936
No. 344] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2014/ASADHA 13, 1936

indiacode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 431(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 186 (अ), तारीख 14 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 14 मार्च, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (11वां संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 115 के उपनियम (14) के खंड (चक) के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु नियम 115 के उपनियम (15) के पैरा (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों के लिए 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् नए प्रकार के यान माडलों के लिए विनिर्मित दुपहिया यान और 1 अप्रैल, 2017 से विद्यमान मॉडल उपनियम (16) की अपेक्षानुसार अनुमोदित प्रकार के होंगे :—

परंतु यह और कि उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) अपेक्षाएं भी उपनियम (16) में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार होंगी ।"

3. नियम 115 के उपनियम (15) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(16.) दुपहियों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत स्तर 4)

निम्नलिखित द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत स्तर 4) नए प्रकार के यान मॉडलों के लिए 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् विनिर्मित दुपहियों के लिए और विद्यमान प्रकार के यान मॉडलों के लिए 1 अप्रैल, 2017 से लागू होंगे :—

(क) गैसोलीन इंजन से सुसज्जित दुपहिया यान

I. पचास सीसी से अधिक इंजन क्षमता और अधिकतम अभिहित गति पचास किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक के साथ दुपहिया के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत स्तर 4) : विश्वव्यापी सामंजस्यकृत मोटर साइकिल परीक्षण चक्र पर आधारित

सारणी-1

वर्ग	टीए = सीओपी मानक (ग्रा/कि.ग्रा.)			
	सीओ	NOx	एचसी + NOx	
			यदि वाष्पशील उत्सर्जन 2 ग्राम/परीक्षण का अनुपालन करता है	यदि वाष्पशील उत्सर्जन 6 ग्राम/परीक्षण का अनुपालन करता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग 1 और उप वर्ग 2-1	1.403	0.39	0.79	0.690
उप वर्ग 2-2	1.970	0.34	0.67	0.490
उप वर्ग 3-1 और उप वर्ग 3-2	0.970	0.20	0.40	0.220

स्पष्टीकारक टिप्पणियां :- इस खंड के प्रयोजन के लिए,—

(1) अंतिम उत्सर्जन परिणाम के लिए यानों का वर्गीकरण और भारित कारक नीचे दिए गए अनुसार होंगे :

	वर्ग की परिभाषा	**चक्र**	**अंतिम उत्सर्जन परिणामों के लिए भारित कारक**
वर्ग 1	यान, जो निम्नलिखित विशिष्टियों को पूरा करते हैं वर्ग 1 से संबंधित हैं: 50 सेंटीमीटर^3 < इंजन क्षमता < 150 सेंटीमीटर^3 और V अधिकतम ≤ 50 किलोमीटर प्रति घंटा या इंजन क्षमता < 150 सेंटीमीटर^3 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा < V अधिकतम < 100 किलोमीटर प्रति घंटा	भाग 1 कम की गई गति शीत, जिसके पश्चात् भाग 1 कम की गई गति तप्त।	भाग 1 कम की गई गति शीत पचास प्रतिशत होगी और भाग 1 कम की गई गति तप्त पचास प्रतिशत होगी ।
उप वर्ग 2-1	यान, जो निम्नलिखित विशिष्टियों को पूरा करते हैं वर्ग 2-1 से संबंधित होंगे : इंजन क्षमता < 150 सेंटीमीटर^3 और 100 किलोमीटर प्रति घंटा और ≤ V अधिकतम < 115 किलोमीटर प्रति घंटा या इंजन क्षमता < 150 सेंटीमीटर^3 या V अधिकतम ≤ 115 किलोमीटर प्रति घंटा	भाग 1 कम की गई गति शीत, जिसके पश्चात् भाग 1 कम की गई गति तप्त।	भाग 1 कम की गई गति शीत पचास प्रतिशत होगी और भाग 1 कम की गई गति तप्त पचास प्रतिशत होगी ।
उप वर्ग 2-2	यान, जो निम्नलिखत विशिष्टियों को पूरा करते हैं वर्ग 2-2 से संबंधित होंगे: 115 किलोमीटर प्रति घंटा ≤ V अधिकतम < 130 किलोमीटर प्रति घंटा	भाग 1 शीत, के पश्चात् भाग 2 तप्त द्वारा होगा ।	भाग 1 शीत तीस प्रतिशत होगा और भाग 2 तप्त सत्तर प्रतिशत होगा ।
उप वर्ग 3-1	यान, जो निम्नलिखित विशिष्टियों को पूरा करेंगे वर्ग 3-1 वर्ग से संबंधित होंगे :	भाग 1 शीत, जिसके पश्चात् भाग 2 तप्त	भाग 1 शीत 25 प्रतिशत होगा भाग 2 तप्त 50 प्रतिशत होगा

indiaCode

	130 किलोमीटर प्रति घंटा ≤ V अधिकतम < 140 किलोमीटर प्रति घंटा	जिसके पश्चात् तथा भाग 3 कम की गई गति ।	और भाग 3 25 प्रतिशत होगा ।
उप वर्ग 3-2	यान, जो निम्नलिखित विशिष्टियों को पूरा करेंगे वर्ग 3-2 से संबंधित होंगे : V अधिकतम ≥ 140 किलोमीटर प्रति घंटा	भाग 1 शीत, जिसके पश्चात् भाग 2 तप्त जिसके पश्चात् भाग 3	भाग 1 शीत 25 प्रतिशत होगा भाग 2 तप्त 50 प्रतिशत होगा भाग 3 25 प्रतिशत होगा ।

2. जांच प्रक्रिया और चालन चक्र पूर्वानुकूलन सोकिंग को शामिल करते हुए और शीत आरंभ के साथ ऊपर विनिर्दिष्ट किए अनुसार चेसिस डायनामोमीटर पर युनाइटेड नेशन्स कमीशन फॉर यूरोप (यूएन ईसीई) ग्लोबल टेक्नीकल रेगुलेशन (जीटीआर)-2 के अनुसार होंगे ।

3. यान पूर्वानुकूलन: ऊपर विहित चक्रों के अनुसार प्रचालित किया गया ।

4. यान सोकिंग: केवल वायु प्रशीतित इंजिन की दशा में यान को शीत आरंभ किस्म 1 जांच से पूर्व या जब तक इंजन आयल तापमान (टी^{0}) या प्रशीतक तापमान (टी$^{सी}$) या स्पार्क प्लग सीट/गैसकट तापमान (टी$^{सी}$) सोक क्षेत्र के तापमान के समतुल्य न हो जाए, छह घंटे से अन्यून और छत्तीस घंटे से अनाधिक अवधि के लिए तक रखा जाएगा ।

5. नमूनाकरण से पहले उपक्रमात्मक चलन अपेक्षित नहीं है, नमूनाकरण टी = 0 सेकेंड पर प्रारंभ होता है ।

6. विश्वव्यापी सामंजस्यकृत मोटर साइकिल उत्सर्जन प्रमाण पत्र (डब्लयू एमटीसी) के ब्रेकडाउन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या केंद्रीय मोटर यान नियम या समय-समय पर यथासंशोधित किस्म अनुमोदन प्रक्रिया 115/116 (एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116) के अध्याय 8 के उपाबंध 5 में दिए अनुसार होंगे ।

7. गैसोलीन यान के लिए संदर्भ ईंधन उक्त नियमों के उपाबंध 4-ञ और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) तथा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए संदर्भ ईंधन वह होगा जो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध है ।

8. वाणिज्यिक गैसोलीन के लिए विशिष्टियां उक्त नियमों के उपाबंध 4-ढ़ में यथा विनिर्दिष्ट होंगी । मूल नियमों के नियम 115 के उप नियम 15 के पैरा (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक गैसोलीन, गैसोलीन के लिए भारतीय मानक विशिष्टि आई एस 2796-2008 के अनुसार होगी । वाणिज्यिक सीएनजी और एलपीजी के लिए विशिष्टियों को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा ।

9. टिकाऊपन के लिए अपेक्षाओं (30,000 किलोमीटर के टिकाऊपन प्रचालन पर विचार करते हुए CO-1.2, NO_X–1.2 और HC+NOx-1.2) पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट वृहत्त उत्सर्जन मानकों में ही तैयार किया गया है ।

10. सीएनजी विधि से प्रचालन कर रहे यानों के लिए नियम 115ख के उपबंध लागू होंगे ।

11. एनपीजी विधि से प्रचालन कर रहे यानों के लिए नियम 115ग के उपबंध लागू होंगे ।

12. इसमें विनिर्दिष्ट गैसोलीन या सीएनजी या एलपीजी यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (i) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे ।

13. क्रेंककेस वातायन प्रणाली वातावरण में किसी भी क्रेंककेस गैस के उत्सर्जन को अनुज्ञात नहीं करेगी।

14. गैसोलीन चालित यानों के लिए उत्सर्जन मानक इस पर निर्भर करते हुए कि विनिर्माता द्वारा द्रव्यमान उत्सर्जन मानक सारणी 1 के क्रमश: स्तंभ (4) या स्तंभ (5) से अंगीकृत HC+NOx मानक और जांच प्रक्रिया समय-समय पर यथासंशोधित (एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116) के अनुसार 2g/परीक्षण या 6g/परीक्षण से अधिक नहीं होंगे ।

15. उत्पादन की पुष्टि की (सीओपी) आवर्ती और नमूनाकरण उक्त नियमों के नियम 115 के उपनियम (12) के खंड (ङ) के अनुसार होगी ।

II. ऊपर पैरा क 1 में विनिर्दिष्ट से भिन्न स्पार्क दहन इंजनों वाले दुपहियों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत स्तर IV) (50 सीसी $\leq$ और V अधिकतम $\leq$ 50 किलोमीटर/प्रतिघंटा):

वृहत्त उत्सर्जन मानक

सारणी-2

प्रदूषक	टीए = सीओपी मानक (जी/किलोमीटर)	ह्रास कारक (डीएफ)
(1)	(2)	(3)
CO	0.75	1.2
HC+NOx	0.75	1.2

टिप्पण :

1. सीएनजी विधि से प्रचालन कर रहे यानों के लिए नियम 115ख के उपबंध लागू होंगे ।

2. एलपीजी विधि से प्रचालन कर रहे यानों के लिए नियम 115ग के उपबंध लागू होंगे ।

3. इसमें विनिर्दिष्ट गैसोलीन/सीएनजी/एलपीजी यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (i) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे ।

4. गैसोलीन यान के लिए संदर्भ ईंधन उक्त नियमों के उपाबंध 4-ञ और सीएनजी तथा एलपीजी के लिए संदर्भ ईंधन वह होगा जो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध है ।

5. वाणिज्यिक गैसोलीन के लिए विशिष्टियां उक्त नियमों के उपाबंध 4-ढ में यथाविनिर्दिष्ट होंगी । मूल नियमों के नियम 115 के उप-नियम 15 के पैरा (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक गैसोलीन, गैसोलीन के लिए भारतीय मानक विशिष्टि आई एस 2796-2008 के अनुसार होगी । वाणिज्यिक सीएनजी और एलपीजी के लिए विशिष्टियों को समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा ।

6. नियम 115 के उपनियम 12 के खंड (क), (ग), (झ), (ङ) और (च) के उपबंध सिवाय उसमें परंतुक के उक्त यान को लागू होंगे ।

ख. डीजल इंजन से सुसज्जित दुपहिया यान- द्रव्यमान उत्सर्जन मानक वही होंगे जो तिपहिया डीजल यानों को लागू होते हैं ।

[सं. आरटी-11036/49/2012-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 में अधिसूचित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 409(अ), तारीख 18 जून, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2014

G.S.R. 431(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicle Rules, 1989, were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 186(E), dated the 14th March, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 14th March, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (11th Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the said rules), in rule 115, in sub-rule (14), in clause (FA), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the two wheelers manufactured on and after the 1st April 2016 for new types of vehicle models and from the 1st April, 2017 for existing types of vehicle models, for the areas other than those specified in clause (a) of sub-rule (15) of rule 115, shall be type approved as per requirements of sub-rule (16):

Provided further that the Conformity of Production (COP) requirements shall also be as specified in sub-rule (16)."

3. In the said rules, in rule 115, after sub-rule (15), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(16) **Mass emission standards (Bharat Stage IV) for two wheelers,**—

The following mass emission standards (Bharat Stage IV) shall come into force for two wheelers manufactured on and after the 1st April, 2016 for new types of vehicle models and from the 1st April, 2017 for existing types of vehicle models—

A. Two wheeled vehicles fitted with gasoline engines—

I. Mass emission standards (Bharat Stage IV) for two wheelers, with engine capacity exceeding 50 cc and a maximum design speed exceeding 50km per hour: Based on World-wide Harmonized Motorcycle Test Cycle (WMTC)-

Table 1

Class	TA=COP norms (g/km)			
	CO	NOx	HC + NOx	
			If the evaporative emission complies with 2 g/test	If the evaporative emission complies with 6 g/test
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Class 1 and Sub-class 2-1	1.403	0.39	0.79	0.59
Sub-class 2-2	1.970	0.34	0.67	0.47
Sub-class 3-1 and Sub-class 3-2	1.970	0.20	0.40	0.20

Explanatory Notes :—

For the purpose of this clause,—

1. Classification of vehicles and weighting factor for the final emission result shall be as given below :—

	Definition of class	**Cycles**	**Weighting factors for final emission results**
Class 1	Vehicles that fulfill the following specifications belong to class 1: 50 cm^3 < engine capacity < 150 cm^3 and Vmax ≤ 50 km/h or engine capacity < 150 cm^3 and 50 km/h <Vmax< 100 km/h	Part 1 Reduced Speed cold followed by Part 1 Reduced Speed Hot	Part 1 Reduced Speed cold shall be 50% and Part 1 Reduced Speed Hot shall be 50%
Sub-Class 2.1	Vehicles that fulfill the following specifications belong to class 2-1: Engine capacity < 150 cm^3 and 100 km/h ≤Vmax< 115 km/h or Engine capacity ≥ 150 cm^3 and Vmax< 115 km/h	Part 1 Reduced Speed cold followed by Part 1 Reduced Speed Hot	Part 1 Reduced Speed cold shall be 50% and Part 1 Reduced Speed Hot shall be 50%
Sub-Class 2.2	Vehicles that fulfill the following specifications belong to class 2-2: 115 km/h≤ Vmax< 130 km/h	Part 1 cold followed by Part 2 Hot	Part 1 cold shall be 30% Part 2 hot shall be 70%

IndiaCode

Sub-Class 3-1	Vehicles that fulfill the following specifications belong to class 3-1: 130 km/h <Vmax< 140 km/h	Part 1 cold followed by Part 2 Hot followed by Part 3 reduced speed	Part 1 cold shall be 25% Part 2 Hot shall be 50% and Part 3 reduced shall be 25%
Sub-Class 3-2	Vehicles that fulfill the following specifications belong to class 3-2: Vmax ≥140 km/h	Part 1 cold followed by Part 2 Hot followed by Part 3	Part 1 cold shall be 25% Part 2 Hot shall be 50% and Part 3 shall be 25%

2. The test procedure and driving cycles shall be as per United Nations Economic Commission for Europe (UN ECE) Global Technical Regulation (GTR)-2 incorporating Amendment 2, with preconditioning soaking and cold start on chassis dynamometer as specified above.

3. Vehicle preconditioning: Operated through the cycles prescribed as above.

4. Vehicle soaking: The vehicle shall be stored for not less than six hours and not more than thirty six hours prior to the cold start Type 1 test or until the engine oil temperature (T^O) or the coolant temperature (T^C) or the sparkplug seat/gasket temperature (T^P), only for air cooled engine, equals the air temperature of the soak area.

5. Preparatory running before sampling is not required, sampling starts at T=0 second.

6. Break down of different parts of Worldwide Harmonised Motorcycle Emission Certification (WMTC) shall be as per the details given in Annexure 5 of Chapter XIII A of Ministry of Road Transport and Highways or Central Motor Vehicles Rules or Type Approval Procedure -115/116 (MoRTH/CMVR/TAP-115/116) as amended from time to time.

7. The reference fuel for gasoline vehicle shall be as specified in Annexure-IV-J of the said rules and reference fuel for Compressed Natural Gas (CNG) and for Liquefied Petroleum Gas (LPG) shall be as commercially available.

8. The specification of commercial gasoline shall be as specified in Annexure IV-N of the said rules. For the areas other than those specified in Para (a) of sub-rule 15 of rule 115 of principal rules commercial gasoline shall be as per Bureau of Indian Standards specification IS: 2796-2008 for gasoline. Specification for commercial CNG and LPG shall be as notified from time to time.

9 Requirements of durability (for CO - 1.2, NOx - 1.2 & HC+NOx - 1.2 considering 30,000 km. durability run) have been built into the mass emission standards specified above.

10 For vehicles operating on CNG mode, the provisions of rule 115-B shall be applicable.

11 For vehicles operating on LPG mode, the provisions of rule 115-C shall be applicable.

12 Gasoline or CNG or LPG vehicles specified herein shall comply with the provisions of clause (i) of sub-rule (2) of rule 115.

13 Crankcase ventilation system shall not permit the emission of any of the crankcase gases into the atmosphere.

14 Evaporative emission for gasoline driven vehicles shall not be more than 2g/test or 6 g/test, depending on whether the norm for HC + NOx adopted by manufacturer is from Column (4) or Column (5) respectively of table 1 of mass emission norms and the test procedure shall be as per MoRTH/CMVR/ TAP-115/116, as amended from time to time.

15 Conformity of production (COP) frequency and sampling shall be as per clause (e) of sub-rule (12) of rule 115 of the said rules.

II. Mass emission standards (Bharat Stage IV) for two wheelers with Spark Ignition engines, other than those specified in para A.I above:(Vehicles with cc ≤ 50 and Vmax ≤50 km/hr):

The mass emission standards

Table 2

Pollutant	TA=COP norms (g/km)	Deterioration Factor (D.F.)
(1)	(2)	(3)
CO	0.75	1.2
HC + NOx	0.75	1.2

Notes:

1. For vehicles operating on CNG mode, the provisions of rule 115-B shall be applicable.

2. For vehicles operating on LPG mode, the provisions of rule 115-C shall be applicable.

3. Gasoline or CNG or LPG vehicles specified herein shall comply with the provisions of clause (i) of sub-rule (2) of rule 115.

4. The reference fuel for gasoline vehicle shall be as specified in Annexure IV-J of the said rules and reference fuel for CNG and LPG shall be as available commercially.

5. The specification of commercial gasoline shall be as specified in Annexure IV-N of the said rules and for the areas other than those specified in clause (a) of sub-rule 15 of rule 115 of principal rules commercial gasoline shall be as per Bureau of Indian Standards specification IS: 2796-2008 for gasoline. The Specification for commercial CNG and LPG shall be as notified from time to time.

6. The provision of clauses (a), (c), (i), (e) and (f) of sub-rule 12 of rule 115, except the proviso therein, shall be applicable to the said vehicle.

B. Two wheeled vehicles fitted with diesel engines—

The mass emission standards shall be same as those applicable for diesel three-wheelers.

[No. RT-11036/49/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Footnote : The principal rules were published vide number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 409(E), dated the 18th June, 2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.